सिक्किम विश्वविद्यालय

छात्र संघ

का

संविधान

❖

प्रस्तावना

हम, सिक्किम विश्वविद्यालय के छात्र एकता और अखंडता के साथ एक बेहतर छात्र समुदाय का गठन करने हेतु सत्यनिष्ठा से संकल्प करते हैं, जो हमारे हित में कार्य करेगा,

उत्तरदायी होगा और छात्रों के मामलों को उठाएगा,

सहयोग और संवाद को बढ़ावा देगा,

समन्वय करेगा और बौद्धिक संसाधनों को साँझा करेगा,

विकसित करेगा और नेतृत्व प्रदान करेगा।

हम एतद्द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ के इस संविधान को हमारे लिए अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मसमर्पित करते हैं।

अनुच्छेद I: नाम

इस छात्र निकाय का नाम सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ होगा, बाद में जिसे छोटे और तथा आकर्षक संक्षिप्त नाम “सुसा” के नाम से जाना जायेगा।

अनुच्छेद II: कार्यालय

सुसा का कार्यालय विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित होगा. इसके पत्राचार के लिए भी अपना अधिकारिक पता होगा।

अनुच्छेद III: आदर्श वाक्य

सुसा का आदर्श वाक्य होगा “दृष्टि, एकता और सफलता”।

अनुच्छेद IV: लक्ष्य एवं उद्देश्य

1. छात्र एवं विश्वविद्यालय के बीच में संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना.
2. छात्र के कल्याण को बढ़ावा देना।
3. भ्रष्टाचार, अभाव, भेदभाव और सभी प्रकार के शोषण से छात्रों की हितों को सुरक्षा प्रदान करना।
4. समाज में छात्रों की अनिवार्य भूमिका की पहचान कराते हुए समाज के प्रति योगदान देना।

अनुच्छेद V: उद्देश्य

सुसा पर छात्रों का प्रतिनिधित्व करने का उत्तरदायित्व है. सुसा अपनी प्रस्तावना, आदर्श वाक्य और लक्ष्य तथा उद्देश्य की भावनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा।

अनुच्छेद VI: गतिविधियाँ

सुसा अन्य किसी उद्द्येश्य को आगे बढाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए -

1. समाज की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दें।
2. शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा दे, विकसित करें तथा प्रदान करें और शैक्षणिक विचार-विमर्श में सहायता प्रदान करें।
3. छात्र जीवन को विकसित करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद और मनोरंजक गतिविधियों, फोरम और अन्य वाद-विवाद गतिविधियों को बढ़ावा दें।
4. प्रकृति की रक्षा करने के लिए पर्यावरणिक चेतना जागृत करें।
5. आवश्यक समझे जाने पर अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों और संबद्ध महाविद्यालयों के सदस्यों के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दें।

अनुच्छेद VII: संरक्षक

सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति सुसा के संरक्षक होंगे. वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे कि सुसा का कार्य इस संविधान के अनुसार हो. वे सुसा के लिए निरपेक्ष चुनाव आयोजित करने तथा उनके परिणाम घोषित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे।

अनुच्छेद VIII: सदस्यता

1. **सदस्य**

   वे सभी छात्र सुसा के सदस्य होंगे जो विश्वविद्यालय के डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए पूर्णकालिक प्रार्थी के रूप में पंजीकृत हैं।

2. **अधिकार**

   क. सदस्य सेवा प्राप्त करने, गतिविधियों में भाग लेने तथा सुसा द्वारा प्रदान की जानेवाली सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए हक़दार होंगे।

   ख. सदस्य कार्यकारिणी समिति के चुनाव में भाग लेने के लिए हक़दार होंगे और इस संविधान के अधीन रहते हुए कार्यकारिणी समिति अथवा सुसा की अन्य किसी समिति में पदभार सँभालने के लिए भी हक़दार होंगे।

   ग. सदस्यों को सुसा के जनमत संग्रह में भाग लेने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद IX: सदस्यता शुल्क

सुसा के प्रत्येक सदस्य को सदस्यता शुल्क के रूप में सुसा के कोष में रु. 212/- (रुपये दो सौ बारह केवल) की राशी का भुगतान करना होगा, जिसे प्रत्येक सेमेस्टर में प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क के साथ एक साथ विश्वविद्यालय द्वारा संग्रह किया जायेगा. विश्वविद्यालय द्वारा लगाये

गए अन्य शुल्कों के अनुरूप इस शुल्क को गैर-संचयी तरीके से वर्ष में 2% बढ़ाया जाएगा।

अनुच्छेद X: कार्यकारिणी समिति

कार्यकारिणी समिति सुसा की शासकीय निकाय है. कार्यकारिणी परिषद् को सुसा के लक्ष्य और उद्देश्य और गतिविधियों की रणनीतियों एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

1. सदस्य

कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित 9 (नौ) अधिकारी शामिल होंगे :

क. अध्यक्ष

अध्यक्ष प्राप्य लक्ष्यों की ओर छात्र द्वारा उठाई गई आवाजों पर केन्द्रित करते हुए, कार्यकारिणी समिति को इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में सहायता देते हुए तथा विश्वविद्यालय तथा उसके परे सुसा को समन्वित करते हुए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों, प्रयोजनों की पूर्ति की दिशा में सुसा को अग्रणी बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ख. उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष सुसा को प्रभावी रूप से कार्यशील करने की दिशा में कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करेंगे. आवश्यकता होने पर वे अध्यक्ष के उत्तरदायित्वों का हिस्सा बनेंगे और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सुसा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

ग. महासचिव

महासचिव सुसा को अपने वांछित लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन और गतिविधियों को साकार करने में सुसा को सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

i. वे कार्यकारिणी समिति के अन्य अधिकारियों के कार्यों की देखरेख और समन्वय करेंगे और छात्र संघ के अन्य प्रतिनिधियों के बीच सामुदायिक भावना का निर्माण करने के लिए प्रयास करेंगे।

ii. वे सुसा की प्रतिष्ठा की बृद्धि करने, बढ़ावा देने तथा उसकी रक्षा करने के लिए संचार/गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे।

iii. वे मीडिया, सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों के साथ व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए सम्बन्ध बनाने के लिए प्रयास करेंगे।

iv. वे न्यूज़लेटर और मुद्रित प्रकाशन, ऑनलाइन संचार, मीडिया तथा सार्वजनिक सम्बन्ध और विपणन सहित सुसा के विविध एवं एकीकृत सम्प्रेषण के लिए उत्तरदायी होंगे।

v. वे सभी मामलों में छात्र संघ के प्रवक्ता भी होंगे।

घ. संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव सुसा को प्रभावी रूप से कार्यशील करने की दिशा में सचिव के साथ मिलकर कार्य करेंगे :

i. वे बैठक की विषय-सूची के वितरण करने, बैठक में कार्यवृत्त लेने तथा सुसा के सुचना अभिलेखों के प्रबंधन करने में सचिव को सहायता

करेंगे/करेंगी।

ii. वे जब कभी आवश्यकता हो, महासचिव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहयोग करेंगे/करेंगी।

ङ. कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष को सुसा के बजट का प्रबंधन करने तथा सुसा के सभी वित्तीय लेन-देन सँभालने का उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा।

i. वे कार्यकारिणी समिति के अनुसमर्थन के तहत कार्यकारिणी समिति, समितियों एवं उपसमितियों के अधिकारियों को वित्तीय वितरण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ii. वे छात्र कल्याण डीन के साथ मिलकर कार्य करेंगे/करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगे कि बजट अनुमोदित है और व्यय नियत समय में हुआ है।

च. शैक्षणिक सचिव

शैक्षणिक सचिव सुसा के पक्षी में शैक्षणिक मामलों की देखरेख करेंगे.

i. वे सुसा की सभी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए गठित समिति के प्रमुख होंगे/होंगी।

ii. वे सुसा के कैरियर से सम्बंधित मामलों के समाधान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे/होंगी।

iii. वे अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों और संबंद्ध महाविद्यालयों के छात्रों को शैक्षणिक विचार-विमर्श के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ सहयोग करने तथा शामिल करने के लिए छात्रों को एक साथ लाने

के लिए प्रयास करेंगे/करेंगी।

छ. सामाजिक सेवा के मामलों के सचिव

सामाजिक सेवा के मामलों के सचिव आर्थिक संरक्षण, दान और सामाजिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे. उनके कार्यों में छात्रों के प्रभावी सामाजिक कार्य के लिए सहयोग, आर्थिक संरक्षण और कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न क्लबों, सोसाइटियों, मंच और संगठनों के साथ कार्य करना शामिल है।

ज. खेल-कूद के मामलों के सचिव

खेल-कूद के मामलों के सचिव सुसा के खेल-कूद कार्यक्रम के लिए उपयुक्त संचालन, स्वयंसेवी प्रबंधन तथा कार्यक्रम संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

i. वे सतर्कतापूर्ण योजना के माध्यम से तथा सुसा के सदस्यों में से स्वयंसेवियों के समन्वय से कार्यक्रम के सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगे/करेंगी।

ii. वे छात्रों को एककृत करेंगे और विश्वविद्यालय में खेल और क्रीड़ा के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु समूह कार्य की प्रक्रिया का विकास, विचारों, मतों और रणनीतियों के आदान-प्रदान करने के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु प्रयास करेंगे।

झ. सांस्कृतिक मामलों के सचिव

सांस्कृतिक मामलों के सचिव सुसा के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त संचालन, स्वयंसेवी प्रबंधन तथा कार्यक्रम संचालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

i. वे सतर्कतापूर्ण योजना के माध्यम से तथा सुसा के सदस्यों में से स्वयंसेवियों के सहयोग से कार्यक्रम के सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगे/करेंगी।

ii. वे छात्रों को एककृत करेंगे और विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को विचारशील और समृद्ध बनाने की दिशा में अमल करने के लिए समूह कार्य की प्रक्रिया का विकास, विचारों, मतों और रणनीतियों के आदान-प्रदान करने के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु प्रयास करेंगे।

2. कार्यकाल

कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 1 (एक) शैक्षणिक वर्ष के लिए होगा. इस तरह का कार्यकाल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के अनुसार होगा।

3. कर्तव्य

क. कार्यकारिणी समिति की बैठक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम दो बार होगी।

ख. कार्यकारिणी समिति छात्र कल्याण डीन के सहयोग से सुसा के लिए बजट का सृजन, मूल्यांकन एवं बजट का रिकॉर्ड करेगी।

ग. कार्यकारिणी समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर सुसा के लक्ष्य और उद्देश्य एवं प्रयोजन को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए समितियों का गठन करेगी. इसी तरह, विशेष समूहों तथा सुसा की

गतिविधियों के सन्दर्भ में लचीलेपन लाने के लिए प्रत्येक समितियों के अन्दर में उप-समितियां भी बनाई जा सकती है।

घ. कार्यकारिणी समिति प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के दौरान वार्षिक रिपोर्ट में अपने कार्यों का संक्षिप्त अभिलेख बनाएगा और सुसा तथा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद XI: विभागीय प्रतिनिधि

इस अधिसूचना के अनुसार सुसा के कार्यसंचालन में कार्यकारिणी समिति को सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों से 1 (एक) विभागीय प्रतिनिधि को चुना जाएगा।

वे कार्यकारिणी समिति के समक्ष छात्रों की शिकायतों और विचारों को प्रस्तुत करेंगे/करेंगी।

अनुच्छेद XII: चुनाव

1. प्रक्रिया

क. चुनाव के 2 (दो) दिन पहले विश्वविद्यालय परिसर के किसी विशेष स्थान पर कार्यकारिणी समिति के पदों के लिए उम्मीदवारों के बीच एक निष्पक्ष बहस का आयोजन किया जाएगा, जिसे छात्र कल्याण डीन के परामर्श से संरक्षक द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।

ख. कार्यकारिणी समिति के पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया प्रत्यक्ष चुनाव होगा जहां विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र उन प्रार्थियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से 1 (एक) छात्र 1 (एक) मत के समता मूल्य के साथ मतदान करेगा।

ग. एक प्रार्थी किसी एक शैक्षणिक वर्ष में कार्यकारिणी समिति के केवल 1 (एक) पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा।

घ. कार्यकारिणी समिति में एक बार चुने गए किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में उनकी अध्ययन अवधि के दौरान उत्तरवर्ती चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए वर्जित किया जाएगा।

ङ. सुसा की कार्यकारिणी समिति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र भरने की तिथि से प्रारम्भ होकर चुनाव प्रचार की अवधि, जो 10 (दस) दिन से अधीन नहीं होने चाहिए, सहित चुनाव के परिणामों की घोषणा होने की तिथि तक चलेगी।

च. निवर्तमान कार्यकारिणी समिति परिणामों की घोषणा होने की तिथि से 5 (पाँच) दिनों के अंदर नव निर्वाचित कार्यकारिणी समिति को कार्यभार सौंपेगी।

छ. सुसा की कार्यकारिणी समिति का चुनाव वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाएगा और उसे किसी शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ होने की तिथि से छ: हफ्ते के अंदर आयोजित किया जाएगा

ज. संरक्षक प्रत्येक वर्ष एक मुख्य चुनाव अधिकारी और आवश्यकता पड़ने पर अन्य चुनाव अधिकारियों को नियुक्त करेंगे, जो विश्वविद्यालय में उस शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्यकारिणी समिति के पदों के लिए चुनाव आयोजित करने की व्यवस्था करेंगा।

झ. कार्यकारिणी समिति के किसी पद अगर चुनाव के बाद 2 (दो) महीने के अंदर रिक्त होता है तो चुनाव दुबारा आयोजित किया जाएगा। अन्यथा उपाध्यक्षा को अध्यक्ष के पद में और संयुक्त सचिव को महासचिव के पद में, मामला जो भी

हो, पदोन्नत किया जा सकता है।

ञ. तीव्र अराजकता और दंडनीय अपराध करने से संबन्धित किसी भी उदाहरण को विश्वविद्यालय द्वारा यथाशीघ्र, किन्तु अपराध करने का आरोप लगने के बाद 12 (बारह) घंटे से अधिक समय न हो, पुलिस को सूचित किया जाएगा ।

2. प्रार्थियों के लिए पात्रता मानदंड

क. विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन रत 17 (सत्रह) और 22 (बाईस) के आयु वर्ग के अंतर्गत आनेवाले छात्र चुनाव लड़ सकता है। हालांकि, किसी व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम, जहां पाठ्यक्रम की समय-सिममा 4 (चार) और 5 (पाँच) वर्ष की हो, में पढ़ रहे छात्रों के मामले में निर्धारित आयु वर्ग में छुट दी जा सकती है।

ख. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ रहे छात्रों के लिए चुनाव में विधिवत रूप से भाग लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा 24 (चौबीस) से 25 (पचीस) वर्षों तक होगी।

ग. शोधार्थी अर्थात विश्वविद्यालय में एम.फिल और पीएच.डी पाठ्यक्रम में पढ़ रहे छात्रों के लिए चुनाव में विधिवत रूप से भाग लेने के लिए अधिकतम आयु-सीमा 28 (अट्ठाईस) बर्ष तक होगी।

घ. प्रार्थियों को किसी भी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में नामांकित होना अनिवार्य होगा, ऐसे पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम 1 (एक) वर्ष की हो। उसे विश्वविद्यालय के एक नियमित छात्र होना अनिवार्य होगा।

3. अयोग्यता

क. उम्मीदवारों की पिछले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहना होगा, जिसका अर्थ है कि उसके द्वारा किसी प्रकार का अपराध करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए और अथवा उसको किसी आपराधिक मामला अथवा अपराध में दोषी नहीं पाया जाना चाहिए।

ख. उम्मीदवारों पर विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी होगी।

ग. उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नून्यतम उपस्थिति अथवा 75% (पछत्तर प्रतिशत) उपस्थिति, जो भी अधिक हो, प्राप्त किया जाना चाहिए।

घ. उम्मीदवारों के नाम पर चुनाव लड़नेवाले वर्ष में किसी भी स्थिति में किसी प्रकार का बकाया नहीं रहना चाहिए।

ङ. उम्मीदवार का चुनाव किसी प्रकार के गैर-अनुपालन अथवा अत्यधिक व्यय की स्थिति में निरस्त कर दिया जाएगा।

च. सुसा के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों से धन के प्रवाह को रोकने के लिए प्रार्थियों को छात्र निकाय से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान को छोडकर अन्य किसी स्रोतों से प्राप्त निधि के उपयोग करने हेतु माना किया जाता है।

छ. चुनाव अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति जिसका नाम विश्वविद्यालय के नामांकन पुस्तिका में एक नियमित छात्र के तौर पर अंकित नहीं है, उसे किसी भी स्थिति में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी व्यक्ति अथवा प्रार्थी अथवा सुसा के किसी भी सदस्य द्वारा इस नियम के उल्लंघन करने पर उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा, मामला जो भी हो, उसका प्रार्थित्व

वापस लिया जाएगा।

4. व्यय

प्रत्येक प्रार्थी के लिए अनुमति व्यय राशि अधिकतम केवल रु. 5,000/- (रुपये पाँच हजार केवल) है। हालांकि, यह भारत सरकार द्वारा जारी हाल ही के विनियमों के अधीन होगा।

5. वित्तीय जवाबदेही

प्रत्येक प्रार्थी को चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद 2 (दो) हफ्ते के अंदर विश्वविद्यालय को सम्पूर्ण तथा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे परीक्षित खातों को लेखा प्रस्तुत करने के बाद 2 (दो) दिन के अंदर किसी उपयुक्त तंत्र के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा ताकि विश्वविद्यालय के कोई भी छात्र सदस्य उसकी जांच कर सके।

6. उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता

निम्नलिखित आचार संहिताओं के पालन में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी से अथवा अपने चयनित पद से हटाये जाने के लिए, मामला जो भी हो, उत्तरदायी होगा। विश्वविद्यालय इस स्थिति में ऐसे उल्लंघनकारियों के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है।

क. कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधियों, जो विभिन्न जातियों अथवा संप्रदायों के बीच, धार्मिक अथवा भाषाई के बीच, अथवा छात्रों की किसी विचारधारा के समूहों के बीच मौजूदा मतभेद को बढ़ाए अथवा आपसी नफरत पैदा करें अथवा तनाव का कारण बने, ऐसे गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा अथवा न ही उसके

लिए उकसाएगा।

ख. उम्मीदवार वोट हासिल करने के लिए जाति अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को अपील नहीं करेंगे।

ग. सभी उम्मीदवारों को किसी भी गतिविधियों में लिप्त होने अथवा ऐसी गतिविधियों को उकसाने में, जिसे "भ्रष्टाचार" और अपराध के रूप में माना जाता है, जैसे कि घुस देना अथवा धमकी देना अथवा मतदाताओं के प्रतिरूपण, प्रचार अथवा मतदान केन्द्रों से 100 (एक सौ) मीटर के अंदर प्रचार करना अथवा प्रचार के लिए उपयोग करना, चुनाव के लिए निर्धारित समय से 24 (चौबीस) घंटे की अवधि के दौरान बैठक आयोजित करना, तथा मतदान केन्द्रों से मतदाताओं के पास परिवहन और वाहन का आना-जाना निषिद्ध किया जाएगा।

घ. जब कभी अन्य उम्मीदवारों की आलोचना की जाए, वह केवल उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पूर्व अभिलेखों और कार्यों तक सीमित होगा। उम्मीदवारों को उनकी निजी जीवन के किसी भी पहलु, जो किसी अन्य उम्मीदवारों अथवा ऐसे किसी अन्य उम्मीदवारों के समर्थकों की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ न हो, की आलोचना करने से बचना होगा। अप्रमाणित आरोपों अथवा विकृति के आधार पर अन्य उम्मीदवारों अथवा उनके समर्थकों की आलोचना करने से बचना होगा।

ङ. किसी भी उम्मीदवारों को प्रचार के उद्देश्य से मुद्रित पोस्टरों, मुद्रित पर्चे या अथवा अन्य किसी मुद्रित सामग्रियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को प्रचार करने के लिए केवल हाथ से बनी पोस्टरों का ही उपयोग करना होगा, परंतु, इस तरह के हाथ से बने पोस्टरों को इस संविधान में निर्धारित व्यय अनुमित व्यय राशि के अंदर ही खरीदे जाएंगे।

च. उम्मीदवार हाथ से बने पोस्टरों का उपयोग केवल विश्वविद्यालय के कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर ही कर सकते हैं, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय द्वारा पहले ही दी जाएगी।

छ. कोई भी उम्मीदवार अथवा उनके समर्थक किसी भी प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के सम्पत्तियों को विकृत अथवा क्षति नहीं पंहुचाएंगे। विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति की क्षति होने अथवा विकृत किए जाने पर सभी उम्मीदवार संयुक्त अथवा पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

ज. किसी उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जुलूस निकालने अथवा सार्वजनिक बैठक आयोजित करने अथवा किसी भी तरह से प्रचार करने अथवा प्रचार सामग्री वितरण करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

झ. प्रचार के उद्देश्य से लाउडस्पीकरों, वाहनों और जानवरों के इस्तेमाल का सख्त वर्जन किया जाएगा।

ञ. मतदान के दिन, सुसा के सदस्य

i. मतदाताओं को बिना किसी बाधा अथवा असुविधा से पूरी स्वतंत्रता के साथ प्रयोग करने के लिए शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तौर पर मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के कर्तव्य पर तैनात अधिकारियों के साथ सहायोग करेंगे।

ii. मतदान के दिन पानी को छोड़कर किसी प्रकार के खाद्य सामग्री अथवा अन्य ठोस और तरल समग्रियों को नहीं परोसेंगे अथवा वितरित नहीं करेंगे।

iii. मतदान के दिन किसी तरह के प्रचार नहीं करेंगे।

ट. मतदाताओं को छोड़कर विश्वविद्यालय से प्राप्त प्राधिकार-पत्र के बिना कोई भी मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा।

ठ. मतदान समाप्त होने के बाद 48 (अड़तालीस) घंटों के अंदर मतदान क्षेत्र की सम्पूर्ण सफाई सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवार संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।

ड. भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 153 ए और अध्याय IX ए) के कुछ प्रावधानों को चुनाव से संबन्धित अपराधों के लिए सुसा के चुनाव के लिए भी, अगर आवश्यक समझा जाए, लागू किया जा सकता है।

ढ. अगर उम्मीदवारों को चुनाव के आयोजन से संबन्धित कोई विशेष शिकायत है तो वे उसे चुनाव पर्यवेक्षक के ध्यान में ला सकते हैं।

7. शिकायत निवारण तंत्र

क. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ चुनाव संबंधित शिकायतों के निवारण करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन चुनाव के आचार संहिता और चुनाव संबंधी व्यय से संबंधित शिकायतों तक सीमित नहीं होगा। यह प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय का एक नियमित प्रकोष्ठ होगा।

ख. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ सुसा की कार्यकारिणी समिति के चुनाव प्रक्रिया की निगरानी रखने के लिए निष्पक्ष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा।

8. शपथ

संरक्षक कार्यकरिणी समिति के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे।

अनुच्छेद XIII: बैठकें

1. उद्देश्य

कार्यकारिणी समिति की बैठकों का आयोजन कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को नियमित आधार पर एक साथ लाने के उद्देश्य से किया जाता है।

क. कार्यकारिणी समिति की बैठक एक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम 2 (दो) बार होगी।

ख. कार्यकारिणी समिति की बैठकों का आयोजन कार्यकारिणी समिति द्वारा एक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत में किया जाएगा और उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

ग. कार्यकारिणी समिति की बैठकों में विश्वविद्यालय के व्यापक मामलों, व्यापार के मुद्दे और विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के बाहर नियुक्ति के अवसरों पर विचार-विमर्श किए जाएंगे।

2. गणपूर्ति

गणपूर्ति सुसा की कार्यकारिणी समिति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए अनुमति देती है।

क. कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिएकार्यकारिणी समिति के कम से कम 7 (सात) सदस्यों की उपस्थिति होने पर और आम बैठक के लिए 10% सदस्यों की उपस्थिति होने पर गणपूर्ति होती है।

ख. कार्यकारिणी समिति की कोई बैठक गणपूर्ति के बिना नहीं होती है।

ग. गपपूर्ति निलंबित नहीं किया जाएगा।

3. पीठासीन अधिकारी

सामान्यत: अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अगर वे उनके नियंत्रक से परे किसी कारणवश अध्यक्षता करने के लिए सक्षम नहीं है तो बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

4. उपस्थिति

उपस्थिति बैठक की कार्यवाही की रिकॉर्ड रखना प्रभावकारी, सक्रिय एवं जवाबदेही सुसा के लिए आवश्यक है।

क. कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बैठकों में भाग लेना आवश्यक है।

ख. अत्यधिक अनुपस्थिति के कारण किसी भी सदस्यों को कार्यकारिणी समिति के हटाया जा सकता है।

5. कार्यवृत्त और अभिलेख

संयुक्त सचिव द्वारा बैठकों में उपस्थिति और बैठक के कार्यवृत्त का रिकॉर्ड रखने का कार्य किया जाता है। उन्हें बैठक की उपस्थिति और कार्यवृत्त को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का कार्यभार भी सौंपा जाता है।

6. उत्तरदायित्व

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यह अनिवार्य करेंगे कि सुसा की कार्यकारिणी समिति की बैठकों और सुसा कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।

7. खुला मंच

खुला मंच एक ऐसा समय है जहां कार्यकारिणी समिति के समक्ष सुसा के किसी भी सदस्यों के लिए बोलने और अपने विचारों, चिंताओं, समस्याओं को प्रस्तुत करने तथा तथा विश्वविद्यालय और छात्रों से संबन्धित मुद्दों पर विचार किया जा सकता है।

अनुच्छेद XIV: बजट

बजट का उद्देश्य सुसा के वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों और गतिविधियों को पूरा करने तथा इसके निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए है।

1. बजट आवंटन

क. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय को निवेदित किए जानेवाली बजट के संदर्भ में कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक में चर्चा की जाएगी।

ख. कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति की दूसरी बैठक में शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तावित बजट का आवंटन पर इस बैठक के दौरान कार्यकारिणी समिति द्वारा मतदान किया जाएगा।

ग. मतदान के आधार पर प्रस्तुत बजट विश्वविद्यालय के लिए न्यायोचित और स्वीकार्य होना चाहिए।

घ. कोषाध्यक्ष प्रस्तावित बजट आवंटन तैयार करेंगे और कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों के बीच उसका वितरण करेंगे। कोषाध्यक्ष समय-समय पर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार सुसा की निधि के वितरण को विनियमित करेंगे।

ङ. सभी व्यय इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार संघ की निधि से किया जाएगा।

च. सुसा के निधि के अलावा कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा करने के लिए विधिवत रूप से अनुमोदित बजट में इस संबंध में प्रावधान नहीं दिया हो।

2. उत्तरदायित्व एवं कोष जुटाना

क. सुसा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदारी से बजट का उपयोग करेगा।

ख. सुसा के बजट के लिए विभिन्न स्रोतों से धन आता है और इसीलिए हर वर्ष में यह बदल सकता है।

i. सभी प्रयास एक सटीक और उचित बजट के पूर्वानुमान करने के लिए किया जाएगा।

ii. सुसा आवश्यकतानुसार बजट में वृद्धि करने हेतु प्रयास करेगा।

iii. बजट सुसा निधि, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं की सहायता से आएगा, अगर जरूरत हो, दान और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित स्रोतों के प्रायोजकों से प्राप्त होगा।

ग. सुसा के लेखाओं का लेखा परीक्षण विश्वविद्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षक और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा। सुसा के लेखाओं का लेखा परीक्षण प्रत्येक तिमाही में आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

घ. सुसा की एक वर्ष की निधि की अव्ययित शेष राशि, अगर कोई हो, सुसा निधि में जमा की जाएगी।

3. बैंक खाता

सुसा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंकिंग और आहरण करने, स्वीकार एवं समर्थन करने, समझौता करने, छूट देने, विक्रेय उपकरणों जैसे वचनपत्रों अथवा बिनिमय बिलों को जारी अथवा कार्यवाही करने के लिए एक बैंक खाता खोलेगा और और उसे संचालित करेगा।

क. बैंक खाता छात्र कल्याण डीन और सुसा के अध्यक्ष, महासचिव अथवा कोषाध्यक्ष में से एक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

ख. बैंक खाते से आहारित ब्याज राशि सुसा की निधि में जमा की जाएगी।

अनुच्छेद XV: अनुसमर्थन एवं संशोधन

संविधान के महत्व को कमतर आंका नहीं जाएगा :

1. प्रस्ताव

क. कार्यकारिणी समिति के किसी भी सदस्य कार्यकारिणी समिति के किसी भी बैठक में संविधान के संशोधन का प्रस्ताव रख सकता है।

ख. सूचना और टिप्पणी अवधि प्रारम्भ करने तथा ऐसी अवधि की सीमा निर्धारित करने के लिए कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों में से 2/3 (दो तिहाई) बहुमत की आवश्यकता होगी।

ग. कार्यकारिणी समिति की कम से कम अगली अनुसूचित बैठक आयोजित नहीं होने तक संशोधन पारित होने के लिए मतदान नहीं होगा।

2. सूचना एवं टिप्पणी अवधि

सूचना एवं टिप्पणी अवधि कम से कम 2 (दो) सप्ताह की अवधि के लिए होगी।

3. स्वीकृति

क. संशोधन पारित करने तथा संविधान में शामिल करने के लिए प्रस्तावित संशोधन के लिए निर्धारित सूचना एवं टिप्पणी अवधि समाप्त होते ही एक याचिका पर सुसा के सभी सदस्यों में से कम से कम 51% (इक्यावन प्रतिशन) सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

ख. इसके बाद प्रस्तावित संशोधन पारित करने के लिए सुसा के सभी सदस्यों में से 3/4 (तीन चौथाई) बहुमत की आवश्यकता है।

ग. अध्यक्ष प्रस्तावित संशोधन को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के संदर्भ में विचार करने के लिए संरक्षक को भेजेंगे।

4. प्रकाशन

क. सभी संशोधनों और परिवर्तनों को अभिलेखित किया जाना चाहिए और उसे सार्वजनिक किया किया जाना चाहिए।

ख. संशोधन के सभी परिवर्तनों को तिथि, मतदान के परिणामों तथा किए गए परिवर्तन सहित मूल संशोधन के नीचे अभिलेखित किया जाएगा।

अनुच्छेद XVI: विघटन

अगर सुसा मौजूदा रहता है तो सभी संपत्ति सशर्त वापस लौटाया जाएगा और 5 (पाँच) वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा देख रेख की जाएगी। बाद में, अगर सुसा का गठन होता है और उक्त 5(पाँच) वर्ष की अवधि के दौरान सिक्किम विश्वविद्यालय में छात्रों के

बहुमत की मांग द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होता है, तो सभी संपत्ति सुसा के उत्तराधिकारी की संपत्ति बन जाएगी।

जबकि, कोई ऐसा सुसा निर्धारित 5 (पाँच) वर्ष के दौरान मौजूदा सुसा के उत्तराधिकारी नहीं बनता, तब सुसा की सभी सम्पत्तियों को बिना शर्त विश्वविद्यालय में निहित किया जाएगा। ।

अनुच्छेद XVII: प्रारम्भ

संविधान या उसमें किसी प्रकार से संशोधन संरक्षण द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद XVIII: विविध

सुसा की प्रथम कार्यकारिणी समिति सुसा के लिए एक लोगो तैयार करेगी। नाम और सुसा के आदर्श वाक्य लोगो में खुदाया जाएगा। उक्त लोगो सिक्किम विश्वविद्यालय के लोगो से प्रेरित होगा और कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनिमोदित किया जाएगा।